

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी—

सुखराम खोखर

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

74 / 2019 / प्रा.पत्र / 2019

03.12.2019

27.02.2020

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

- 1—श्री महावीर प्रसाद धाकड पुत्र श्री छोटूलाल धाकड निवासी कचरावता पोस्ट कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स विकास किराणा स्टोर बस स्टैण्ड पलेई तहसील उनियारा जिला टोंक
- 2— मैसर्स विकास किराणा स्टोर बस स्टैण्ड पलेई तहसील उनियारा जिला टोंक
- 3—श्री सतीश विजयवर्गीय पुत्र श्रवणालाल विजयवर्गीय निवासी जैन नसिया रोड टोंक प्रोपरायटर मैसर्स विजय श्री टी कम्पनी बी-130 ब्रजविहार कॉलोनी सवाई माधोपुर रोड टोंक राज0
- 4— मैसर्स विजय श्री टी कम्पनी बी-130 ब्रजविहार कॉलोनी सवाई माधोपुर रोड टोंक राज0

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—


1—प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2—अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 स्वयं तथा 3,4 की ओर से उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 27.02.2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.06.2019 को समय 2.30 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स विकास किराणा स्टोर बस स्टैण्ड पलेई तहसील उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। विक्रेता की हैसियत से श्री महावीर प्रसाद धाकड पुत्र श्री छोटूलाल धाकड निवासी कचरावता पोस्ट कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स विकास किराणा स्टोर बस स्टैण्ड पलेई तहसील उनियारा जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

1037



आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में चाय(विजय श्री गोल्ड ब्राण्ड) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री महावीर प्रसाद धाकड़ को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता महावीर प्रसाद धाकड़ एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में लगभग 30 मूल पैक पैकड अवस्था में 250-250 ग्राम के चाय(विजय श्री गोल्ड ब्राण्ड) रखे हुये में से 8 मूल पैक अवस्था ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये में से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री महावीर प्रसाद धाकड़ को रू0 400/-अक्षरे चार सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा चाय(विजय श्री गोल्ड ब्राण्ड) 8 मूल पैक को ज्यो का त्यो अलग-अलग 2-2 नग के चार भागो में विभाजित कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2231 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2231 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. महावीर प्रसाद धाकड़ के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खांध पदार्थ का नमूना कय करते समय श्री महावीर प्रसाद धाकड़ ने मौके पर चाय(विजय श्री गोल्ड ब्राण्ड) बतोर वारन्टी मैसर्स विजय श्री टी कम्पनी बी-130 ब्रजविहार कॉलोनी सवाई माधोपुर रोड टोंक राज0का बिल संख्या/इन्वॉइस नं0 730 दिनांक 26.04.2019 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/1500 दिनांक 24.06.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रिय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1397/एक्ट/2019/929 दिनांक 14.06.2019 अनुसार महावीर प्रसाद धाकड़ से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया चाय(विजय श्री गोल्ड ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) का होना पाया गया।

1058
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक




अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का चाय(विजय श्री गोल्ड ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस चाय(विजय श्री गोल्ड ब्राण्ड) का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया चाय(विजय श्री गोल्ड ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded)स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) अप्रार्थी श्री महावीर प्रसाद धाकड पुत्र श्री छोटूलाल धाकड निवासी कचरावता पोस्ट कचरावता तहसील उनियारा जिला टोक एफ.बी.ओ. मैसर्स विकास किराणा स्टोर बस स्टैण्ड पलेई तहसील उनियारा जिला टोक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री सतीश विजयवर्गीय पुत्र श्रवणलाल विजयवर्गीय निवासी जैन नसिया रोड टोक प्रोपरायटर मैसर्स विजय श्री टी कम्पनी बी-130 ब्रजविहार कॉलोनी सवाई माधोपुर रोड टोक राज0 शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 27.02.2020 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।




(सुखराम खोखर)
न्याय निर्णयक अधिकारी एवं
आतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोक-राज0

